

आयकर विवरण 2003–2004

अधिकारी / कर्मचारी का तैनाती स्थान

आयकर अधिनियम (91) की धारा-192 के अन्तर्गत आयकर की परिगणना

1-अधिकारी / कर्मचारी का नाम

(क) वर्ष में वेतन आदि से अर्जित आय.....

(ख) अन्य प्रतिभूतियों से अर्जित आय

योग

2-आयकर में छूट

(क) मानक कटौती सेक्शन 16

(ख) धारा 13 ए के अन्तर्गत मानक

किराया भत्ता पर नियमानुसार छूट

(ग) धारा 88 एल के अन्तर्गत अर्जित आय

आय की छूट

(घ) गृह निर्माण पर ब्याज

कर योग्य कुल आय

3-आयकर गणना :-

रु0 50000.00 तक शून्य

रु0 50001.00 से 60000.00 तक 10 प्रतिशत =

रु0 60001.00 से150000.00 तक 20 प्रतिशत =

रु0 150000.00 से अधिक तक30 प्रतिशत =

शुद्ध आयकर रु0

4-वर्ष में कुल कटौती या जमा (धारा 88 के अन्तर्गत)

(क) अधिकतम निवेश 60000.00

(ख) टैक्स सेविंग बाण्ड पर विशेष छूट 20000.00 कुल अनुमन्य छूट 800000.00

(ग) सामान्य भविष्य निधि

(घ) सामूहिक बीमा

(ङ.) जीवन बीमा

(च) राष्ट्रीय बचत पत्र

(छ) राष्ट्रीय बचत पत्रों पर वार्षिक अर्जित ब्याज

(ज) आवासीय मकान के क्रय अथवा निर्माण के लिए
अदायगी की अधिकतम छूट

(झ) अन्य अधिकतम कटौतियाँ

योग =

5- धारा-88 के अन्तर्गत छूट 20 प्रतिशत की दर से

(अधिकतम छूट) 2000.00

6- देय आयकर अधिभार 2 प्रतिशत सहित

7- आयकर में जो पूर्व में जमा किया जा चुका है

8- आयकर अवशेष
देय रू0 में

दिनांक :-

हस्ताक्षर
अधिकारी / कर्मचारी
पद :-